न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या /2024/ 1041 जिला–अजमेर

1. मुन्नालाल पुत्र श्री गोपीलाल
2. सीताराम पुत्र श्री गोपीलाल
   दोनों जाति ढ़ोली, निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।
2. गेन्दी पुत्री श्री गोपीलाल
3. लक्ष्मणराम पुत्र श्री गोपीलाल
4. गुमानी पुत्री श्री गोपीलाल
5. प्रभुलाल पुत्र श्री गोपीलाल
6. कैलाशचन्द पुत्र श्री गोपीलाल
7. रामकरण पुत्र श्री गोपीलाल
8. विमला पत्नी श्री सीताराम
9. शीला पत्नी श्री प्रभुलाल
10. समस्त जाति ढ़ोली, निवासी ग्राम मुहामी, तहसील व जिला अजमेर।

–––प्रत्यर्थीगण

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 08–07–2024 प्रकरण संख्या 12/24 बउनवान मुन्नालाल व अन्य बनाम सरकार व अन्य

———

उपस्थित– 1 श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 9

निर्णय

दिनांकः 16–12–2025

संभागीय आयुक्त अजमेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 9 व अन्य सहखातेदारो की पुश्तैनी

खातेदारी व सहखातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात है जो ग्राम मुहामी तहसील अजमेर में स्थित है जिसको वर्तमान/आधार जमाबंदी में जाति जाचक के स्थान पर मूल जाति ढोली अंकित किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर अपीलार्थीगण की अपील अपने आदेश दिनांक 08–07–2024 से खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम मुहामी तहसील अजमेर स्थित हाल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 एवं वर्किंग जमाबंदी चौसाला व सनफसली के अनुसार विवादित आराजियात का विवरण निम्नानुसार है:–

हाल ख0न0	रकबा	किस्म	वर्किंग ख0न0	रकबा
712	0.0400	गै0मु0चाह	540	0–4–0
713	0.0200	गै0मु0खादोल	541	0–3–0
2144	0.0900	चाही उत्तम	1955	0–11–0
3292	0.3300	बा–2	1396	2–1–0
705	0.4300	चाही–2	533	2–13–0
1867	0.3200	बा–1	1676	2–0–0
693	0.0900	बा–1	522	0–11–0
723	0.0700	बा–1	553	0–9–0
719	0.4500	बा–1	545	2–15–0

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के सजरा अनुसार अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता गोपीलाल पुत्र छीतर थे, जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारिसान में अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदिया मुर्तिब करते समय सहवनवश अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता गोपीलाल की जाति ढोली के बजाय जाचक दर्ज कर दी गयी। उक्त जाति को दुरूस्त करवाने हेतु अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 18.2.1992 को अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता की जाति को दुरूस्त कर ढोली दर्ज करने के आदेश दिये गए थे। उक्त आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 20–04–1992 को राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया परन्तु सहवन से जाति दुरूस्त नहीं हो सकी। अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता गोपीलाल पुत्र छीतर फौत हुए तो सहवन से अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण जाति जाचक दर्ज कर दी गयी तथा इसी अनुसार आज दिनांक तक राजस्व

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

रिकार्ड में अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण की जाति जाचक त्रुटिपूर्ण अंकित कर दी तत्पश्चात अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष जाति दुरूस्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 11–01–2013 को जाति को दुरूस्त करने बाबत आदेश प्रदान किये गए। उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण संख्या 687 दिनाक 6.2.2006, नामातरकरण सख्या 716 दिनांक 21–8–2006 व नामांतरकरण सख्या 83 दिनाक 5–6–2013 को तस्दीक किये गए। उक्त नामांतरकरणों की पालना में जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2084 में अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण की जाति दुरुस्त की जा चुकी थी परन्तु हाल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 मुर्तिव करते समय अपीलाट एवं प्रत्यर्थीगण की जाति को गलत रूप से जाचक दर्ज कर दी गई। अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र सनफसली 1315 व 1349, जमाबन्दी व अन्य जमाबन्दीयों में अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण तथा अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों की जाति ढोली अंकित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण की जाति त्रुटिपूर्ण रूप से जाचक अंकित होने से अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण को अपनी पुश्तैनी आराजियात में अपनी माता का विरासती नामांतरकरण तस्दीक करवाने एवं अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है उक्त त्रुटिपूर्ण जाति जाचक के स्थान पर जाति ढोली दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 22.5.2024 को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./न्याय/2024/3452 दिनांक 22–05–2024 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मुहामी के हाल खसरा नम्बर 712, 713, 2144 3292 705, 1867, 693, 723 719 व पटवारी रिपोर्ट एवं पूर्व रिपोर्ट तथा नामांतरकरणों में उक्त खसरा नम्बरान में खातेदारान के पूर्वजों की जाति ढोली दर्ज है। तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने तहसीलदार, अजमेर के जवाब का अवलोकन किए बिना वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 467, 468, 508, 517 में अपीलार्थी के पूर्वज सीताराम को कृषि भूमि का आवंटन होने का कथन अंकित कर तथाकथित आवंटन में जाति जाचक दर्ज होने का उल्लेख करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित भूमि आवंटन में अपीलांट की जाति जाचक होना अंकित करते हुए आदेश प्रदान किया है जबकि आराजी खाता संख्या 608 जिसके खसरा नम्बर में अपीलांट के दादा छीतर वल्द धीरा कौम ढोली दर्ज है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने उपरोक्त भूमि को तथाकथित आवंटन के समय जाचक दर्ज होने का कथन अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने आराजी खाता नम्बर 468 एवं 517 की भूमि को भी अपीलांट के पूर्वजों की भूमि अंकित कर जाचक दर्ज होना अंकित करते हुए गैर कानूनी निर्णय पारित कर दिया जबकि आराजी खाता नम्बर 468 वर्किंग जमाबन्दी

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

के अनुसार भंवरलाल वल्द लादू रावत व खाता नम्बर 517 वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार हालू वल्द लूम्बा कौम रावत के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी मुतनाजा अपीलांट के पूर्वजों की भूमि नहीं होकर अन्य रावत जाति के अन्य व्यक्तियों की भूमि होने के बावजूद भी उक्त भूमि को भी अपीलांट की भूमि होना मानते हुए अपीलार्थीगण की जाति जाचक दर्ज होना अंकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट की अन्य भूमि जो कि खाता संख्या नया 900 एवं खाता संख्या पुराना 900 के खसरा नम्बर 1833 रकबा 0.8200 हेक्टर किस्म बारानी 1 एवं आराजी खसरा नम्बर 2148 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म चाही उत्तम व खसरा नम्बर 2637 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म नहरी–1 व खसरा नम्बर 3716 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 3758 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.5300 हैक्टर किस्म बारानी 1. खसरा नम्बर 700 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी 1. खसरा नम्बर 706 रकबा 0.3700 हैक्टर किस्म चाही–2 खसरा नम्बर 707 रकबा 0.4200 हैक्टर किस्म चाही 2. खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म बारानी 2. खसरा नम्बर 716 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म चाही–2 खसरा नम्बर 725 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म चाही ३. खसरा नम्बर 729 रकबा 0.3000 हैक्टर किस्म चाही 3. खसरा नम्बर 730 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म चाही 3 कुल किता 14 कुल रकबा 4.1800 हैक्टर भूमि जो कि अपीलांट के नाम दर्ज है जिसमें अपीलांट की जाति ढोली दर्ज है जो कि निर्विवाद है। इसी प्रकार अन्य खाता संख्या नया 197 पुराना 197 के खसरा नम्बर 692 रकबा 0.1200 हेक्टर किस्म बारानी 1. खसरा नम्बर 699 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म बारानी 1. खसरा नम्बर 708 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म चाही 2. खसरा नम्बर 709 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म चाही 2. खसरा नम्बर 711 रकया 0.2000 हैक्टर किस्म चाही 2. खसरा नम्बर 720 रकबा 0.1100 हेक्टर किस्म बारानी–1 खसरा नम्बर 726 रकबा 0.0600 हेक्टर किस्म चाही 3 कुल किता 7 कुल रकबा 1.0800 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 693 पुराना 693 के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.1500 हेक्टर किस्म चाही–2 खसरा नम्बर 702 रकबा 01400 हैक्टर किरम चाही–2 एवं खसरा नम्बर 703 रकबा 0.1500 हेक्टर किस्म चाही 2 कुल किता–3 कुल रकबा 0.4400 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 1226 पुराना 693 के खसरा नम्बर 704 रकबा 0.4200 हेक्टर किस्म चाही–2 के राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण की जाति ढोली दर्ज है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजात जमाबंदियां सम्वत 2065 से 2084 के खाता संख्या नया 1 पुराना 2 के खसरा नम्बर 125, 126 में अपीलार्थीगण के पिता गोपी वल्द छीतर कौम ढोली दर्ज होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायलय ने छुटे हुए नम्बरों पर सहवन से जाति जाचक दर्ज होने को दुरूस्त नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर दिनांक 23–12–2020 कमांक प.4(1)राज–6/2002 प्रस्तुत

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

किया जिसमें स्पष्ट रूप से शासन उप सचिव, जयपुर द्वारा यह आदेश प्रदान किया गया है कि जाति सम्बंधित त्रुटियों को सम्बंधित पक्षकारों को नोटिस देकर दुरूस्त किया जा सकता था। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सनफसली जमाबन्दीयों व अन्य जमाबन्दीयों में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण तथा उनके पूर्वजों की जाति राजस्व रेकार्ड में ढोली अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.7.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 9 की जाति राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जाकर जाति जाचक के स्थान पर जाति ढोली वर्तमान/आधारभूत जमाबन्दी में दर्ज कर दुरूस्ती किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड में पूर्वजों के समय से ढोली जाति होने का कथन किया है तथा कुछ खसरा नम्बरों में सहवन से जाचक अंकित हो गया जिसे दुरूस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा –136 का क्षैत्र व्यापक नहीं होकर सीमित है जिसके द्वारा रेकार्ड अथवा दस्तावेज में देखते ही टंकण त्रुटि नजर आये उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड में जाति जाचक के स्थान पर ढोली दुरूस्त करने का निवेदन किया है जो सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.2024 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

अपीलार्थीगण की बहस का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 9 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुहामी के हाल खसरा नम्बर 712 713, 2144, 3292, 705, 1867, 693, 723, 719 के राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 9 एवं अपीलार्थीगण की जाति जाचक दर्ज हो गई है। जबकि पटवारी रिपोर्ट अनुसार गत रेकार्ड एव नामान्तरकरणों में उक्त खसरा नम्बरान पर खाते में प्रार्थीगण के पूर्वजों की जाति ढोली दर्ज है। तहसीलदार अजमेर व हल्का पटवारी द्वारा पुराने राजस्व रिकार्ड व पूर्व में पारित निर्णय के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण एवं अप्रार्थीगण की हाल राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज जाति जाचक को दुरूस्त कर जाति ढोली दर्ज करने की सहमति दी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में जहां पक्षकारों की सहमति हो वहां पुराने राजस्व रिकार्ड में हुई प्रविष्ठि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना चाहिए था उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत

संभागीय आयुक्त
अजमेर

जाकर प्रार्थीगण/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी त्रूटि की है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम मुहामी की जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2084 के खसरा नम्बर 712, 713, 719 में दर्ज नामांतरकरण संख्या 83 दिनांक 5–6–2013, नामान्तरकरण संख्या 716 दिनांक 21–8–2006, नामन्तरकरण संख्या 687 दिनांक 6–2–2006 में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की जाति सही रूप से ढोली दर्ज थी उक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी ऑन लाईन दर्ज करते समय सहवन से जाति जाचक दर्ज कर दी जिसकी दुरूस्ती करने हेतु अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत रूप से अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की जाति दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी सहमति तहसीलदार अजमेर एवं पटवारी हल्का द्वारा कर दी गयी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रूप से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 9 द्वारा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.7.2024 को खारिज किया जाकर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 9 की जाति राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जाकर जाति जाचक के स्थान पर जाति ढोली वर्तमान/आधारभूत जमाबन्दी में दर्ज कर दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वर्तमान/आधार जमाबंदी सम्वत 2065 से 2084 के खसरा नम्बर 712, 713, 719 में दर्ज नामांतरकरण संख्या 83 दिनांक 5.6.2013, नामान्तरकरण संख्या 716 दिनांक 21.8.2006, नामन्तरकरण संख्या 687 दिनांक 6.2.2006 में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की जाति ढोली दर्ज होने का कथन किया है। तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 22–05–2024 एवं पटवारी हल्का मुहामी की रिपोर्ट दिनांक 6–05–2024 के अनुसार ग्राम मुहामी के हाल खसरा नम्बर 712 713, 2144, 3292, 705, 1867, 693, 723, 719 के राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 9 की जाति जाचक दर्ज हो गई है। गत राजस्व रेकार्ड एवं नामान्तरकरणों में उक्त खसरा नम्बरान पर प्रार्थीगण के पूर्वजों की जाति ढोली दर्ज है। आराजी खाता नम्बर 468 वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार भंवरलाल वल्द लादू रावत व खाता नम्बर 517 वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार हालू वल्द लूम्बा कौम रावत के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी मुतनाजा अपीलांट के पूर्वजों की भूमि नहीं होकर अन्य रावत जाति के अन्य व्यक्तियों की भूमि होने के बावजूद भी उक्त भूमि को भी अपीलांट की भूमि होना मानते हुए अपीलार्थीगण की जाति जाचक दर्ज होना अंकित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

यहां यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित भूमि आवंटन में अपीलार्थीगण के पूर्वज सीताराम की जाति जाचक होना अंकित करते हुए अपील खारिज कर दी जबकि आराजी खाता संख्या 608 जिसके खसरा नम्बर में अपीलार्थीगण के दादा छीतर वल्द धीरा कौम ढोली दर्ज है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के पिता गोपीलाल पुत्र छीतर थे, जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारिसान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदिया मुर्तिब करते समय सहवन से अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता गोपीलाल की जाति ढोली के बजाय जाचक दर्ज कर दी गयी जबकि राजस्व रेकार्ड में जाति ढोली ही अंकित है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सनफसली जमाबन्दीयों व अन्य जमाबंदियों में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण तथा उनके पूर्वजों की जाति राजस्व रेकार्ड में ढोली अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–07–2024 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–07–2024 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को आदेशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 22–05–2024 का अवलोकन करते हुए राजस्व रेकार्ड एवं वर्तमान एवं आधार जमाबंदी में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की जाति जाचक के स्थान पर ढोली अंकित करने हेतु तहसीलदार, अजमेर को निर्देशित करते हुए समुचित आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 15–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर